अनुदान संख्या 91 – सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
GRANT No. 91 - DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	8429,99,00	8430,04,00	8283,41,31	-146,62,69
पूरक	Supplementary	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				139,08,12
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	455,01,00	455,03,00	455,00,00	-3,00
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	89886.00			
पू.	S.	2.00	66743.52	66404.94	-338.58
पु.	R.	-23144.48			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	36700.00			
पू.	S.	2.00	35431.44	35167.04	-264.40
पु.	R.	-1270.56			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	34381.00			
			..	..	..
पु.	R.	-34381.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	674009.00			
			720616.87	720606.47	-10.40
पु.	R.	46607.87			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	2830.00			
पू.	S.	1.00	1263.05	1261.55	-1.50
पु.	R.	- 1567.95			

(I) ₹35302.50 लाख का प्रावधान (नवंबर, 2019 में प्राप्त किए गए ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) बाईस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहाय इनमें से ₹33019.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹35302.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in November, 2019) remained wholly unutilised under twenty two heads; of these ₹33019.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" – "अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति" – ₹710.00 लाख संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई।

(A) Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Post Matric Scholarships" - ₹710.00 lakhs - due to non-receipt of adequate proposals from Union Territory Governments.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "समाज कल्याण – मद्यनिषेध" –

(i) "मद्य व्यसनिता और पदार्थ (औषधि दुरुपयोग की रोकथाम)" – ₹1300.00 लाख;

(ii) "औषधि मांग की कटौती के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना" – ₹967.00 लाख;

(ख) "समाज कल्याण – स्वैच्छिक संगठनों को सहायता – वृद्धों से सबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" – ₹901.00 लाख;

(B) Major Head "2552" -

(a) "Social Welfare - Prohibition" -

(i) "Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse" - ₹1300.00 lakhs;

(ii) "National Action Plan for Drug Demand Reduction" - ₹967.00 lakhs;

(b) "Social Welfare - Assistance to Voluntary Organisations - Assistance to Voluntary Organisations for Programmes Relating to Aged" - ₹901.00 lakhs;

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "अनुसूचित जातियों का कल्याण – शिक्षा" – ₹501.00 लाख;

(ii) "अनुसूचित जातियों का कल्याण – आर्थिक विकास" – ₹2200.00 लाख;

(iii) "अनुसूचित जातियों के विकास के लिए स्कीम" – ₹8710.00 लाख;

(iv) "प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना" – ₹780.00 लाख; और

(घ) "पिछड़े वर्गों का कल्याण – शिक्षा – अन्य पिछड़े वर्गों और विमुक्त घुमन्तु जनजातियों तथा अर्धघमन्तु जनजातियों के विकास के लिए स्कीम" – ₹16950.00 लाख।

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आशिंक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2225" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "अनुसूचित जातियों का कल्याण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" :–

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए मुफ्त कोचिंग" – ₹1614.17 लाख की बचत (₹2940.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति" – ₹11334.00 लाख की बचत (₹36000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व विद्यालय

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Welfare of Scheduled Castes - Education" - ₹501.00 lakhs;

(ii) "Welfare of Scheduled Castes - Economic Development"- ₹2200.00 lakhs;

(iii) "Scheme for Development of Scheduled Castes" - ₹8710.00 lakhs;

(iv) "Pradhan Mantri Adrash Gram Yojana" - ₹780.00 lakhs; and

(d) "Welfare of Backward Classes - Education - Scheme for Development of Other Backward Classes and Denotified Nomadic Tribes and Semi Nomadic Tribes" - ₹16950.00 lakhs.

Provisions under the above eight heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2225" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Free Coaching for SCs" - saving of ₹1614.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2940.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(b) "National Fellowship for SCs"- saving of ₹11334.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36000.00 lakhs) was due to

अनुदान आयोग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ग) "हाथ से मैला ढोने वालों (मेहतरों) के पुनर्वास के लिए स्वारोजगार स्कीम" – ₹2300.00 लाख की बचत (₹10780.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हाथ से मैला ढोने वालों (मेहतरों) की कम संख्या में पहचान किए जाने के कारण हुई।

(घ) "अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति" – ₹4729.78 लाख की बचत (₹4790.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ङ) "बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना" – ₹2211.00 लाख की बचत (₹2840.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई।

(खा) "पिछड़े वर्गों का कल्याण – शिक्षा" –

(क) "पुरुष और महिला छात्रावास" – ₹719.41 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ख) "अन्य पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति" – ₹1750.00 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्येतावृत्ति उम्मीदवारों का विलंब से चयन होने की वजह से विश्विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुईं।

(III) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

requirement of less funds by University Grants Commission.

(c) "Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers" - saving of ₹2300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10780.00 lakhs) was due to identification of less number of manual scavengers.

(d) "Pre Matric Scholarship for SCs" - saving of ₹4729.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4790.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from Union Territories.

(e) "Babu Jagjivan Ram Chhatrawas Yojana" - saving of ₹2211.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2840.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Union Territories and receipt of less proposals.

(B) "Welfare of Backward Classes - Education"-

(a) "Boys and Girls Hostel" - saving of ₹719.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Central Universities and Union Territories without legislature.

(b) "National Fellowship for OBCs & EBCs"- saving of ₹1750.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to requirement of less funds by University Grants Commission owing to late selection of OBC fellowship candidates.

(III) Under Major Head "2235" - "Social Welfare" - savings occurred under the following heads:-

(का) "वृद्ध, अशक्त और निःसहाय का कल्याण – वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना" – ₹562.50 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्तावों की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई।

(A) "Welfare of Aged, Infirm and Destitute - National Action Plan for Senior Citizens" - saving of ₹562.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from implementing agencies.

(खा) "मद्य निषेध – मद्य निषेध के लिए शिक्षण कार्य" – ₹1859.38 लाख की बचत (₹19340.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मद्य और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम स्कीम में कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(B) "Prohibition - Education work for Prohibition" - saving of ₹1859.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19340.00 lakhs) was due to receipt of less proposals in the scheme of Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse.

(गा) "अन्य कार्यक्रम – सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ" – ₹2957.04 लाख की बचत (₹4050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम में विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा कम कार्यकलापों को किए जाने के कारण हुई।

(C) "Other Programmes - Information and Mass Education Cell" - saving of ₹2957.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4050.00 lakhs) was due to undertaking of less activities by Directorate of Advertising and Visual Publicity in scheme.

(IV) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम" – ₹1108.00 लाख की बचत (₹1530.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Umbrella Scheme for Development of Scheduled Castes" - saving of ₹1108.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1530.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from Union Territories Governments.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹837.66 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम और कुल स्वीकृत प्रावधान का 16 और 35 प्रतिशत थीं।

(V) Under two heads savings of ₹837.66 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 16 percent and 35 percent of the total sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को आंशिक रूप से (₹6195.44 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत नवंबर, 2019 और मार्च, 2020 में ₹3.00 का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹6195.44 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in November, 2019 and March, 2020 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" – "पिछड़े वर्गों का कल्याण" –

(A) Major Head "2225" - "Welfare of Backward Classes" -

(क) "शिक्षा – अन्य पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए विदेश में शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सहायिकी" – ₹1109.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1108.75 लाख।

(ख) "अन्य व्यय – अन्य पिछड़े वर्गों, डीएनटी और अत्यंत पिछड़े वर्गों के कौशल विकास के लिए सहायता" – ₹700.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹699.75 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण" –

(क) "सुधारात्मक सेवाएं – भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यकम" – ₹1765.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1663.00 लाख था।

(ख) "स्वैच्छिक संगठनों को सहायता – वृद्धों से सबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" – ₹2621.44 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2619.69 लाख था।

(II) बचतें उपर्युक्त निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "2225" – "अनुसूचित जातियों का कल्याण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – अनुसूचित जातियों और अन्य वर्गों के विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति" – ₹1276.49 लाख का अधिक व्यय (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश में अध्ययन के लिए अधिक विद्यार्थियों की पात्रता होने की वजह से विदेश मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्तियों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा – अन्य कमजोर समूहों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम (पिछड़े वर्गों

(a) "Education - Interest Subsidy on Education Loans for Overseas Studies for OBC & EBCs" - ₹1109.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1108.75 lakhs.

(b) "Other Expenditure - Assistance for Skill Development of OBCs, DNTs and EBCs" - ₹700.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹699.75 lakhs.

(B) Major Head "2235" - "Social Welfare" -

(a) "Correctional Services - Integrated Programme for Rehabilitation of beggars" - ₹1765.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1663.00 lakhs.

(b) "Assistance to Voluntary Organisations - Assistance to Voluntary Organisations for programmes relating to Aged" - ₹2621.44 lakhs. Actual excess, however, was ₹2619.69 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Scholarship to Students of Scheduled Castes and other Categories for Studies Abroad" - excess of ₹1276.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards scholarships by Ministry of External Affairs owing to more eligibility of students to study abroad.

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/Share - Umbrella Programme for Development of Other

तथा दिव्यांगजनों सहित)" – ₹11311.29 लाख का अधिक व्यय (₹151420.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

Vulnerable Groups (including Backward Classes and Differently Abled Persons)" - excess of ₹11311.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹151420.00 lakhs); and

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम" – ₹35286.18 लाख का अधिक व्यय (₹522589.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Umbrella scheme for Development of Scheduled Castes" - excess of ₹35286.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹522589.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक को किए जाने और राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisaiton on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds by State Governments.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4225"	Major Head "4225"				
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	45501.00	45503.00	45500.00	-3.00
पू.	S.	2.00			

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) "अनुसूचित जातियों का कल्याण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – कमजोर वर्ग के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम" – ₹16540.00 लाख की बचत (₹21500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति को नॉन होल्डिंग की वजह से एनएसएफडीसी के प्राधिकृत शेयर पूंजी की वृद्धि होने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को आंशिक रूप से (₹16540.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि नवंबर, 2019 और मार्च, 2020 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(I) "अनुसूचित जातियों का कल्याण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि" – ₹10000.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹9999.50 लाख था।

(II) "सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश" –

(का) "कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम" – ₹2540.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2539.00 लाख था।

(खा) "अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उद्यम के लिए पूंजी निधि" – ₹4000.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹3999.50 लाख था।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) Under "Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes - National Finance Development Corporation for Weaker Sections" - saving of ₹16540.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21500.00 lakhs) was due to non-increase of authorized share capital of NSFDC owing to non-holding of Expenditure Finance Committee

4. The above savings were partly (₹16540.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in November, 2019 and March, 2020 under the following heads:-

(I) "Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Venture Capital Fund for SCs to Industrial Finance Corporation of India" - ₹10000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹9999.50 lakhs.

(II) "General - Investments in Public Sector and other Undertakings" -

(A) "National Finance Development Corporation for Weaker Sections" - ₹2540.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2539.00 lakhs.

(B) "Venture Capital Fund for SCs and OBCs"- ₹4000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3999.50 lakhs.